

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(1)न्याय/2022

जयपुर, दिनांक 26-04-2023

::आज्ञा::

श्री नंद गोपाल गोयल(उप विधि परामर्शी), उपनिदेशक, विधि, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एवं श्रीमती रूचि अग्रवाल, सहायक विधि परामर्शी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रशासनिक कारणों से कार्यव्यवस्था के तौर पर अग्रिम आदेशों तक कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर में तुरन्त प्रभाव से उपस्थिति प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से



(आशुतोष कुमावत)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव